संख्या–92 / ।।(02)/2021–03(06)/2016, टी0सी0

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक 19 मार्च, 2021**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सैक्टर की मानसून अवधि में बाढ कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों का पुर्ननिर्माण कार्य मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1988/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (सामान्य) /कैम्प, दिनांक 16.05.2020, पत्र संख्या–2402/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (सामान्य)/कैम्प, दिनांक 08.01.2021 एवं पत्र संख्या–47/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (सामान्य), दिनांक 23.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 340/।।(2)–2020–03(06)/2016, टी0सी0 दिनांक 29.02.2020, द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, वर्तमान तक योजनाओं पर अवमुक्त धनराशि के व्यय/समर्पण एवं कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के दृष्टिगत **मानसून अवधि में बाढ कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों का पुनर्निर्माण मद** में संलग्नक विवरणानुसार निर्माणाधीन योजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में **₹** 32.54 लाख (रूपये बत्तीस लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
ii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
iii. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
iv. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
v. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
vi. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये।
vii. निर्माणाधीन योजनाओं हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2021 तक की वित्तीय व भौतिक प्रगति, फोटोग्राफ सहित आवश्यक रूप से 15 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध कराया जाय, उक्त विवरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.........2

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–07–मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण–51– अनुरक्षण कार्य के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31.3.2020, शासनादेश संख्या–370/09(150)–2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 29 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या–495/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 29.6.2020 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

संलग्न–अलॉटमेन्ट आई0डी0

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 92 (1)/ I I(02)/2021–03(06)/2016, टी0सी0, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।